मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 12–06/2013/25–2/1860 भोपाल दिनांक 23/12/2016

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के बालक/बालिकाओं को अपने गृह निवास से बाहर महाविद्यालयीन एवं उच्च स्तर की शिक्षा निरंतर रखने के लिए आदेश क्रमांक–एफ–12–06/2013/25–2/2039 एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक–एफ–23–04/2013/25–5 दिनांक 11/09/2013 से आवास सहायता योजना नियम वर्ष 2013 जारी किया गया था। उक्त योजना के संचालन हेतु शासन द्वारा समय–समय पर जारी संशोधित आदेशों को समाहित करते हुए आवास सहायता योजना नवीन नियम वर्ष 2016 एतद् द्वारा जारी किये जाते हैं।

2/ यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

अनुसूचित जाति तथा जनजाति बालक/बालिका आवास सहायता योजना नवीन नियम 2016

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभः–**

   (1) ये नियम अनुसूचित जाति तथा जनजाति बालक/बालिका आवास सहायता योजना नवीन नियम 2016 कहलायेंगे।
   (2) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में रहेगा।
   (3) राज्य शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक से नवीन नियम प्रभावशील होंगे।

2. **योजना का उद्देश्य** :– अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के बालक/बालिकाओं का उच्च शिक्षा में प्रवेश अन्य वर्ग की तुलना में कम है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के बालक/बालिकाओं का गुणात्मक रूप से अन्य वर्ग के समतुल्य प्रवेश सुनिश्चित करने एवं आर्थिक अवरोधों से मुक्त होकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।
3. **योजना का स्वरूप एवं कियान्वयन** :–

   (1) वर्ष 2013–14 से महाविद्यालयीन एवं उच्च स्तर पर अध्यनरत् अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बालक/बालिकाओं के हितार्थ योजना प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित की गई है। वर्ष 2016–17 से इस योजना का संचालन विभागीय स्कालरशिप पोर्टल 2.0 के साथ ऑन लाईन किया जावेगा।

(2) योजना भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन संभागीय मुख्यालय, अन्य समस्त जिला मुख्यालय एवं समस्त तहसील/विकासखण्ड मुख्यालय स्तर तक लागू होगी।

(3) केन्द्र/राज्य शासन द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय यदि क्रमांक (2) में उल्लेखित मुख्यालय से अन्यत्र ग्राम/कस्बे में हो तो ऐसे ग्राम/कस्बे में निवासरत विद्यार्थी को विकासखण्ड मुख्यालय स्तर की पात्रता होगी।

4. पात्रता :–

(1) ऐसे विद्यार्थी, जो कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात शासकीय एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/अन्य संस्थाओं के स्नातक/स्नातकोत्तर/समस्त उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेशित हैं तथा जिनका किसी भी शासकीय छात्रावास में प्रवेश नहीं हुआ हो, ऐसे विद्यार्थी आवास सहायता के पात्र होंगे।

(2) विद्यार्थी को आवास सहायता की पात्रता अध्ययनरत संस्था के मुख्यालय के आधार पर न होकर, किराये पर निवास के मुख्यालय के आधार पर होगी।

(3) समस्त परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में चयन प्रक्रिया से प्रवेशित अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं को नियमित छात्रावास का संचालन प्रारंभ होने तक इस योजना अन्तर्गत आवास सहायता राशि कण्डिका–4 (4) अनुसार प्राप्त करने की पात्रता होगी।

(4) भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन संभागीय मुख्यालयों में रूपये 2000/–, अन्य जिला मुख्यालयों में रूपये 1250/– तथा तहसील/विकासखण्ड मुख्यालय में रूपये 1000/– प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिए आवास सहायता की राशि देय होगी ।

(5) ~~पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा तक के पात्र विद्यार्थी~~ योजना का लाभ ले सकेंगे।

(6) एक ही स्थानीय निकाय (नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत) की भौगोलिक सीमा में महाविद्यालयीन संस्था या विद्यार्थी का मूल निवास स्थित न होने पर ही योजना की पात्रता होगी। अन्य दूरी का कोई बन्धन नहीं होगा।

(7) निर्धारित आवास सहायता से अधिक किराये की राशि विद्यार्थियों को स्वयं वहन करना होगी। आवास सहायता के अतिरिक्त विभाग द्वारा आवास हेतु अन्य कोई सुविधा देय नहीं होगी।

(8) अनुत्तीर्ण अथवा परीक्षा परिणाम स्थगित होने पर आगामी वर्ष में विद्यार्थी इस योजना के लिए अपात्र होंगे।

(9) एक ही माता/पिता की सभी संतानों को पृथक हितग्राही माना जायेगा।

5. **आवेदन की प्रक्रिया :–**

(1) विद्यार्थी द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश की अंतिम तिथि पश्चात विभागीय स्कालरशिप पोर्टल 2.0 पर उपलब्ध आवास सहायता योजना के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन करेंगे।

(2) ऑन–लाईन आवेदन करते समय पूर्व कक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची, शपथपत्र एवं मकान मालिक का सहमति पत्र/किरायानामा अपलोड करेंगे।

(3) विद्यार्थी आवेदन पत्र को लॉक करने के पूर्व समस्त जानकारियों का परीक्षण कर लें अन्यथा त्रुटिपूर्ण/भ्रामक जानकारी होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

6. **स्वीकृति की प्रक्रिया एवं अधिकार :–**

(1) स्वीकृति के अधिकार शासकीय संस्थाओं के प्राचार्यो एवं अशासकीय संस्थाओं हेतु सम्बद्व शासकीय संस्थाओं के नोडल प्राचार्य को होंगे। छात्र द्वारा ऑन–लाईन भरे गये आवेदन पत्र, समग्र आई.डी. से प्राप्त विवरण एवं अपलोड किये गये समस्त अभिलखों के सत्यापन का उत्तरदायित्व स्वीकृतकर्ता प्राचार्यों का होगा।

(2) विद्यार्थी द्वारा ऑन–लाईन किये गये आवेदन पत्र एवं अपलोड किये गये अभिलेखों को पृथक से हार्ड कॉपी में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में अध्ययनरत् बालिकाओं को आवास सहायता स्वीकृति के अधिकार उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार संचालक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र को होंगे।

7. **भुगतान की प्रकिया :–**

(1) आवास सहायता की स्वीकृत राशि का परीक्षण कर जिला संयोजक, आदिवासी विकास अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा विद्यार्थी के बैंक खाते में राशि का भुगतान किया जायेगा तथा स्वीकृतकर्ता अधिकारी को सूचित किया जायेगा। यह संबंधित जिला संयोजक, आदिवासी विकास अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास की जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करें कि उसके जिले में संचालित महाविद्यालयीन छात्रावासों में स्वीकृत सारी सीटें भरी हुई हों । इसके पश्चात आवास सहायता की राशि जारी की जाए ।

(2) विद्यार्थियों को आवास सहायता निर्धारित पाठ्यक्रम की कालावधि के लिए एक बार ही देय होगी। किराये की गणना महाविद्यालयीन संस्था में प्रवेश लेने की तिथि/किराये से भवन लेने की तिथि (जो भी बाद में हो) से की जायेगी।

(3) स्वीकृत राशि 6–6 माह के अन्तराल से दो किश्तों में देय होगी। प्रथम किश्त जुलाई माह में 6 माह का अग्रिम तथा द्वितीय किश्त जनवरी माह में देय होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुषमा शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग,
भोपाल दिनांक 23/12/2016

पृ0 क्रमांक एफ 12–06/2013/25–2/1861

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, आदिम जाति कल्याण विभाग।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण/अनुसूचित जाति कल्याण/उच्च शिक्षा/तकनीकि शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. ✓ आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश को यू.ओ. टीप क्रमांक 23124 दिनांक 27/10/2016 के सन्दर्भ में प्रेषित।
5. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश।
6. संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ, भोपाल।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
9. समस्त संभागीय उप आयुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास म.प्र.।
10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
11. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश।
12. समस्त जिला संयोजक, आदिवासी जाति विकास मध्यप्रदेश।
13. कम्प्यूटर प्रभारी, कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास भोपाल की ओर उक्त आदेश आदिवासी विकास सर्वर में दर्ज करें।
14. गार्ड फाईल।

की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय
भोपाल